

एफ 120 एफ

स्वर्ण गहनों की गिरवी के एवज पर किसान क्रेडिट कार्ड हेतु आवेदन

सेवा में

शाखा प्रबंधक , इंडियन बैंक
.....शाखा

बचत खाता सं	ऋण खाता सं

प्रिय महोदय,

मैं/हमरु के एक किसान क्रेडिट कार्ड ऋण मुझे/हमें कृषि/संबंधि गतिविधियां/.....व्यय जिसका विवरण आवेदन में है , अनुदान के लिए अनुरोध करते है। आगे, मैं/हम अनुरोधित ऋण हेतु स्वर्ण गहनों को संपाशिशर्वक के तौर पर गिरवी रखने के लिए भी सहमत है।

आवेदक का नाम.....उम्र.....सीआईएफ

पिता/पति का नाम.....

व्यवसाय : कृषि/संबंधित गतिविधियों में संलग्न

पता.....

.....

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

.....

आधार सं मोबाइल नं:

ईमेल पता:

कृषि भूमि से संबंधित विवरण निचे दिये जाए :

गांव	सर्वेक्षण	क्षेत्र का विस्तार(एकड़ में)(यदि प्रयोज्य)	प्रस्तावित फसल वृद्धि/विकास

पी.एम.एफ.बी.वाय रक्षा लेने को इच्छुक हां/नहीं। यदि हां फसल बिमा पिमीयम राशी रु.....

और/या

मैं/हम यहां घोषणा करते है कि मैं/हम डेरी/बकरी पालन/भेड़ पालन/मछली पालन/मुर्गी/अन्य कृषि संबंधि गतिविधियां में संलग्न है।

कृषि संबंधि गतिविधियों से संबंधित विवरण

गतिविधियों का नाम	इकाईयों की सं
1. डेरी/पशु	
2. बकरी पालन/भेड़ पालन	
3 .मछली पालन	

4. मुर्गी पालन	
5. अन्य कृषि संबंधित गतिविधियां (कृपया गतिविधियों बताएं)	

संपार्श्विक सुरक्षा के तौर पर रखे गहनों का विवरण

विवरण	कुल भार (ग्राम में) शब्द और आकड़ें दोनों में	निवल भार (ग्राम में) शब्द और आकड़ें दोनों में
मैं/हम घोषणा करते हैं कि उपरोक्त गहनों मेरे/हमारी संपत्ति है और अन्य किसी व्यक्ति का इसपर कोई दावा नहीं है। मैं/हम घोषणा करते हैं कि गिरवी रखे गये स्वर्ण जाली नहीं है।		

मैं/हम यहां घोषणा करते हैं कि अन्य किसी बैंक/सहकारी/वित्तीय संस्थान से कृषि भूमि/सर्वेक्षण सं उपरोक्त उल्लेखित के एवज में ऋण नहीं लिया है।

मैं/हम घोषणा करते हैं कि मैं/हम निम्नलिखित ऋण बकाया आपके साथ है (यदि वर्तमान में है तो विवरण दें) :

सुविधा का प्रकार	योजना	सीमा	शेष राशी बकाया

मैं/हम यहां निम्नलिखित नियम और शर्तों के प्रति बद्ध होने से सहमत है :

1. बैंक ऋण का भाग भुगतान प्राप्त करेगा किंतु गहनों की सुपुर्दगी मुल राशी , ब्याज और लागत की पुर्ण वसूली पर ही हो सकती है।
2. उधारकर्ता बैंक के कार्यालय में नियत तारिख तक या उससे पहले ब्याज के साथ ऋण की पुरी वसूली का प्रबंध करेगा।
3. उक्त भुगतान के चूक पर , बैंक , उधारकर्ता/ उधारकर्ता को बिक्री सूचना की नियत तारिख की सूचना देने के बाद उधारकर्ता/ उधारकर्ता के जोखिम पर या तो सार्वजनिक निलामी या असार्वजनिक संविदा पर गहनों की बिक्री करने का हकदार होगा।
4. बैंक गिरवी गहनों पर धारणाधिकार रखेगा और गहनों को बेचने का हकदार होगा , कोई अन्य पैसों के कुल के संबंध में जो कि उधारकर्ता बैंक को या तो अकेला या संयुक्त रूप से अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ बैंक के किसी भी कार्यालय में देने के लिए दायी होगा।
5. बैंक को उनके द्वारा दिये पते पर उधारकर्ता को संबोधित सामान्य डाक द्वारा एक पत्र या बैंक को उनके द्वारा दिये मोबाइल नं पर एसएमएस/वाहट्सप संदेश या बैंक को उनके द्वारा दिये ईमेल पर ईमेल , सभी उद्देश्यों के लिए पर्याप्त होगा।
6. समय के लिए बैंक का नियम और गहनों/गहनों की गिरवी से संबंधि समय – समय पर गठित/संसोधित उधारकर्ता/उधारकर्ताओं के लिए बाध्य होगा।
7. गहनों बैंक की सुरक्षा में होंगे और बैंक द्वारा सुरक्षा के लिए सामान्य एहतियात लेगी। मुख्यवान वस्तुएँ उधारकर्ता के जोखिम पर रहेगी।
8. मैं यहां बैंक को ऋण खता के बंद होने के बाद बैंक की सुरक्षा में 3 महिनें से ज्यादा रखे असुपुर्द गहनों पर जैसा प्रयोज्य हो 'सेफ कस्टडी शुल्क' लगाने के लिए प्राधिकृत करता हूँ और इस संबंध में उद्धृत कोई अन्य नियम या शर्तों के पालन को इच्छुक हूँ।
9. मैं/हम यहां बैंक को उक्त खाते पर..... प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर के साथ.....की पुर्ण राशी के भुगतान के इस तारिख से उस तारिख तक मासिक/तिमाही/अर्धवार्षिक/वार्षिक अवधि पर देय

जैसा भी मध्यान्तर का मामला हो, शुल्क लगाने और नामे के लिए प्राधिकृत करता हूँ, उक्त ब्याज प्रत्येक वित्तिय/केलेन्डर.....(मासिक/तिमाही/अर्धवार्षिक/वार्षिक जैसा भी मामला हो द्धृत करें) की आखरी कार्य दिन पर शेष बकाया के साथ जुड जाता है , यदि अदत्त हो , वही दर राशी अग्रिम और धारक ब्याज का हिस्सा हो जायेगा।

*आरबीआई पॉलिसी दर (जैसा पुर्व तिमाही के अंत में).....%+प्राइम प्रसार #.....%+ऋण जोखिम प्रिमीयम.....%+कारोबार रणनीति प्रिमीयम.....%.

10. मैं/हम सहमत है कि बैंक के पास प्राइम प्रसार को संसोधित करने का हक होगा।

11. उधारकर्ता ने यहांब्याज दर के साथ(प्रसार पर फेक्टींग) उक्त खातें में शुल्क लगाने और नामे के लिए बैंक को प्राधिकृत किया है ,बैंक के सीमांत लागत निधी आधारित उधार दर(एमसीएलआर) (एक वर्ष)(वर्तमान एमसीएलआर.....%,प्रभावी ब्याज दर.....% प्रति वर्ष होगा) दैनिक आधार पर....., उक्त ब्याज प्रत्येक वित्तिय/केलेन्डर.....(मासिक/तिमाही/अर्धवार्षिक/वार्षिक जैसा भी मामला हो द्धृत करें) की आखरी कार्य दिन पर शेष बकाया के साथ जुड जाता है और कथित ब्याज , यदि अदत्त हो , वही दर राशी अग्रिम और धारक ब्याज का हिस्सा हो जायेगा।

12.उधारकर्ता/उधारकर्ताएँ सहमत है कि बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक निर्देशों/बैंक के नियमों के अनुसार उपरोक्त द्धृत दर से अधिक ब्याज दर लगाने के लिए हकदार है और उक्त बढ़ायी गयी ब्याज दर के ब्याज देने के लिए सहमत है।बैंक के पास एणसीएलआर/प्रसार, इनमे से कोई या सभी, या तो अधिक या कम के रूप में संसोधित/पुननिर्धारित करने का हक होगा।

13. उधारकर्ता , शाखा में प्रदर्शित/सूचित ,वेबसाइड या समाचारपत्र में प्रकाशित , उधारकर्ता को भेजे पासबुक में प्रविष्ट ब्याज के जरीए/ खाते का विवरण , बैंक के रेपो दर/एमसीएलआर में जब कभी बदलाव हो उस बदले ब्याज दर की सूचना प्राप्त करने के लिए बाध्य है।

14. ब्याज की अस्थिर दर के मामले में, उधारकर्ता को उनके द्वारा लिये विकल्प का पालन करना होगा और बैंक के द्वारा पुननिर्धारित दिनों के संबंध में जो कि ऋण/ऋण सीमा के पहली संवितण के दिन या रेपो दर/एमसीएलआर के समीक्षा के दिन से जुड़ा है , मंजूर है।

15. उधारकर्ता सहमत है कि अन्तरिम अवधि के दौरान बैंचमार्क में बदलाव से बिना प्रभावित हुए पहले संवितरण का दिन, या तो आंशीक या पुर्ण, के रेपो दर /एमसीएलआर अगले पुनर्निर्धारित दिन तक प्रयोज्य होगा।

16.मैं/हम सहमत है कि बैंक मंजूर नियम और शर्तों के अनुसार उधारकर्ता के जोखिम प्रोफाइल में बदलाव के आधार पर अधिक या कम वार्षिक ऋण जोखिम प्रिमीयम में संसोधित करने का हकदार होगा.

17. मैं/हम आगे सहमत है कि संबंधित नियत दिनों में ब्याज/किश्त के भुगतान में चूक या किसी तरह की अनियमिततायों या यहां बताए नियम और शर्तों के अननुपालन के मामले में, बैंक समय पर समय लागू भारतीय रिज़र्व बैंक/बैंक के नियमों के अनुसार उक्त अर्धवार्षिक दर या चूक राशी पर संविदात्मक/अधिकतम ब्याज दर की 2% से अधिक अधिदेय ब्याज शुल्क लगाने का हकदार होगा।

18. मैं/हम आगे सहमत है कि जब आरबीआई की पॉलिसी दरों में संसोधन होता है,बैंक आगे बिना किसी व्यक्तिगत सूचना के ब्याज दरों में बदलाव करने का हकदार है।

19. मैं/हम बैंक सेवा शुल्क , सरसई शुल्क , पुर्व बंद शुल्क , आकस्मिक शुल्क ,टाइपिंग और पोस्ट खर्च , कानूनी सूचना व्यय , वित्तीय सूचना की इलेक्ट्रॉनिक जमाव के लिए सूचना उपयोग के लिए शुल्क आदि सभी व्यय और शुल्क नामे के लिए प्राधिकृत/ को भुगतान के लिए सहमत है।
20. मैं/हम बैंक को मेरे बचत खाते से गहनों के प्रयोज्य मुल्यांकन शुल्क नामे हेतु प्राधिकृत करते है।
21. मैं/हम यहां सहमत है और सभी या अन्य ऐसे डिस्कोलज़र के लिए बैंक को सहमती देते है –
 1. उधारकर्ता/उधारकर्ताओं से संबंधि सूचना और आंकड़ें
 2. बैंक द्वारा दिया जाने वाला /दी गयी और उधारकर्ता द्वारा ली गयी कोई ऋण सुविधा में उधारकर्ता के दायित्व से संबंधित सूचना या आँकड़ा और
 3. उधारकर्ता द्वारा स्वीकार अपने दायित्वों के निर्वह में किसी तरह की चूक में, इंडियन बैंक उचित तथा आवश्यक होने पर इस संबंध में ऋण सूचना ब्यूरो(इंडिया) लिमिटेड और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य एजेन्सी को बताने और दे सकते है।
22. मैं/हम आगे सहमत और सहमती देते है कि
 1. ऋण सूचना ब्यूरो(इंडिया) लिमिटेड और कोई अन्य एजेन्सी जो प्राधिकृत है, मामलों में जो उचित हो ,बैंक द्वारा दिये उक्त सूचना और आँकड़ों का प्रयोग , उस पर प्रक्रिया कर सकता है।
 2. ऋण सूचना ब्यूरो(इंडिया) लिमिटेड और कोई अन्य एजेन्सी जो प्राधिकृत है, जारी सूचना और उनके द्वारा बनाए आँकड़ें या उत्पाद बैंक/वित्तीय संस्थानों और अन्य ऋण गारंटर या पंजीकृत प्रयोगकर्ता, इस संबंध में आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट कोई, विचार के लिए दे सकते है।
23. इस संबंध में मैं/हम पुरी तरह से आपको मेरे/हमारे विषय में आयकर विभाग जैसे कोई अन्य सरकारी विभाग/प्राधिकारी/एजेन्सी से सूचना(बिना सीमा के, तुलनपत्र,लाभ और घाटा खाता , आय विवरण और प्रतिफल के साथ) तथा उक्त प्राधिकार या संस्थान को मेरे द्वारा मेरे कारोबार या गतिविधि के बारे में दी गयी सूचना, उधारकर्ता के द्वारा आपसे प्राप्त /आवेदित ऋण सुविधा/सुविधाओं के संबंध में मेरे द्वारा दी गयी सूचना के सत्यापन हेतु मांगने के लिए प्राधिकृत करता हूँ।
24. मैं/हम बैंक द्वारा तय निर्धारित/नियत दिनांक के अनुसार ऋण के भुगतान के लिए सहमत है।
25. मैं/हम यहां प्रमाणित करते है कि उपरोक्त दिये सभी विवरण सत्य है।मैं यहां गहना मुल्यांकक द्वारा सोने की शुद्धता ,भार, बाजार मुल्य आदि को प्रमाणित करती मुल्यांकन रिपोर्ट संलग्न कर रहे है।
26. उधारकर्ता कंपनी सहमत है और वचन देते है कि कोई भी निर्देशक/साथी/सदस्य/ट्रस्टी, जैसा भी मामला हो, आरबीआई या अन्य बैंक और वित्तीय संस्था या अन्य ऋण सूचना कंपनी द्वारा जारी किसी चूककर्ता की सूची में न ही किसी उधारकर्ता और न कोई निर्देशक/ निर्देशकों का नाम है और न आदतन चूककर्ता घोषित हुआ है और यदि कोई व्यक्ति उधारकर्ता के कंपनी के बोर्ड में ऐसा पाया जाता है, उनको बोर्ड से हटाने के लिए तिव्र और प्रभावी कदम उठाये जायेंगे।
27. मैं/हम मेरे अपने कृषि उद्देश्यों के लिए रू.....केवल) की किसान क्रेडिट कार्ड ऋण मंजूरी के लिए आपसे अनुरोध करता हूँ। मैं मेरे द्वारा झूठी/गलत घोषणा से पनपी किसी घाटे या नुकसान के अवसर पर बैंक को नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपुर्त करूंगा, और बैंक को उचित कानूनी कार्रवाई के लिए भी आज़ादी होगी।

आपका आभारी

दिनांक:

स्थान:

आवेदक का हस्ताक्षर